मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2597
17.03.2025 को उत्तर के लिए

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त

2597. श्री महेश कश्यप :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) में उल्लिखित परिणामों को प्राप्त करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और इसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) जीएचजी (ग्रीनहाउस गैसों) में कटौती में सबसे अधिक योगदान देने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इस प्रदर्शन को प्रेरित करने वाली विशिष्ट नीतियां या पहल क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) का एक पक्षकार है। यूएनएफसीसीसी के तहत अपने रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करने के लिए, भारत समय-समय पर यूएनएफसीसीसी को अपनी राष्ट्रीय संचार और द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों में, अन्य बातों के साथ-साथ, जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए भारत के लिए अपेक्षित और उसको प्राप्त अंतरराष्ट्रीय वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता संवर्धन सहयोग के बारे में जानकारी शामिल होती है।

नवीनतम रिपोर्ट अर्थात दिसंबर 2024 में यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत की गई चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर-4) में सभी क्षेत्रों में कैलेंडर वर्ष 2021 और 2022 में बहुपक्षीय चैनलों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं से जुड़े विकास वित्त का विवरण शामिल है। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) जैसे बहुपक्षीय जलवायु कोष एवं एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) जैसे बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) शामिल हैं।

(ख) बीयूआर-4 के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत का ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन भूमि उपयोग, भूमि उपयोग में परिवर्तन और वानिकी (एलयूएलयूसीएफ) के बिना 2,958 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य था। ऊर्जा क्षेत्र ने कुल उत्सर्जन में सबसे अधिक, 75.66 प्रतिशत योगदान दिया, इसके बाद कृषि क्षेत्र ने 13.72 प्रतिशत, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग (आईपीपीयू) ने 8.06 प्रतिशत और अपशिष्ट क्षेत्र ने 2.56 प्रतिशत योगदान दिया। एलयूएलयूसीएफ क्षेत्र देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 22 प्रतिशत हटाने वाला निवल सिंक बनाने वाला क्षेत्र बना रहा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी वैश्विक समस्या है जो मुख्य रूप से विकसित देशों द्वारा पूर्व में किए गए अत्यधिक उत्सर्जन और वर्तमान उत्सर्जन के कारण उत्पन्न हुई है जिसके समाधान के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। वर्ष 1850 से 2019 तक पूर्व में किए गए संचयी उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 4 प्रतिशत से भी कम है, जबकि यहां दुनिया की 17 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जहां विकास और गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में वृद्धि होने वाली है, हालांकि यह कम पैमाने पर होगी। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के लिए भारत की जिम्मेदारी न्यूनतम रही है; आज भी, इसका वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई है। इसके बावजूद, भारत बहुपक्षवाद के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करते हुए और यूएनएफसीसीसी में निहित समानता और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों के आधार पर जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपट रही है। इसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्यान्वयन शामिल है, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा के कुशल उपयोग, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक जानकारी और मानव स्वास्थ्य के विशिष्ट क्षेत्रों में संचालित मिशन शामिल हैं। एनएपीसीसी जलवायु संबंधी सभी कार्यकलापों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों पर विचार करते हुए एनएपीसीसी के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की हैं। ये एसएपीसीसी क्षेत्र-विशिष्ट और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की (क्रॉस-सेक्टरल) प्राथमिकता वाले कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करती हैं।

भारत ने वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अपना पहला योगदान (एनडीसी) यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत किया और अगस्त 2022 में अपने पहले एनडीसी को अद्यतन किया। अद्यतन एनडीसी के अनुसार, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करना और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा

उत्पादन की संस्थापित क्षमता हासिल करना है। अन्य लक्ष्यों में, वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रमुख पहल के रूप में 'लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के एक जन आंदोलन के माध्यम से संधारणीय जीवन शैली का प्रचार करना; जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता को बेहतर बनाना, जलवायु अनुकूल और स्वच्छतर विकास का मार्ग अपनाना, घरेलू स्तर पर नई एवं अतिरिक्त निधि जुटाना तथा क्षमता सवंर्धन करना शामिल हैं।

नवंबर 2021 में यूएनएफसीसीसी के 26 वें पेरिस सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन हासिल करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। इसके अनुसरण में भारत ने नवंबर 2022 में यूएनएफसीसीसी को अपनी दीर्घकालिक निम्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से विकास की कार्यनीतियां (एलटी-एलईडीएस) तैयार की और प्रस्तुत की, जो वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लक्ष्य की पुष्टि करती है। इनमें शामिल हैं i) विकास के अनुरूप निम्न कार्बन उत्सर्जन से बिजली प्रणालियों का विकास, ii) एक एकीकृत, कुशल और समावेशी परिवहन प्रणाली विकसित करना, iii) शहरी डिजाइन में अनुकूलन को बढ़ावा देना, भवनों में ऊर्जा और सामग्री के कुशल उपयोग, और संधारणीय शहरीकरण, iv) संपूर्ण अर्थव्यवस्था-में विकास को उत्सर्जन से अलग करना और एक कुशल, अभिनव निम्न उत्सर्जन औद्योगिक प्रणाली को बढ़ावा देना, v) कार्बन डाइऑक्साइड हटाने और तत्संबंधी अभियांत्रिकी समाधान उपलब्ध कराना, vi) सामाजिक-आर्थिक एवं पारिस्थितिक पहलुओं के अनुरूप वन क्षेत्र और वनस्पति आवरण में वृद्धि करना; viii)) निम्न कार्बन उत्सर्जन से विकास हेतु आर्थिक एवं वित्तीय आवश्यकताएं।

भारत वैश्विक स्तर पर जलवायु संबंधी कार्रवाई में सबसे आगे रहा है। वह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और उनका नेतृत्व कर रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, जलवायु अनुकूल द्वीप राज्यों के लिए अवसंरचना, उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह और मिशन नवाचार शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत, उद्योग, परिवहन, कृषि, आवासीय और भवन, अपशिष्ट, जल और वानिकी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन उपशमन के लिए कई पहलें की गई हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति, पीएम - सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन; परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, कॉर्पोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था; इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम; अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना; प्रतिपूरक वनरोपण निधि और प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम, नगर वन योजना, एक पेड़ माँ के नाम, जल जीवन मिशन, आदि शामिल हैं।

*****